Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

नीरज कुमार मौर्य
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

डॉ. कुसुमलता पटेल
शोध निर्देशिका,
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 52-59

Article History
Received : 20 May 2023
Published : 30 June 2023

सारांश– शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लागू जरुर कर दिया पर इसे पूरी तरह से क्रियान्वित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की है। क्योंकि इस अधिनियम में बनाए गए लगभग सभी नियमों का अनुपालन सबसे पहले शिक्षकों को करना होता है और कोई भी शिक्षक अधिनियम के क्रियान्वयन में अपना पूरा योगदान देने में तभी सफल होगा जब वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न नियमों, अधिनियम एवं कानूनों को अच्छी तरह से समझने में सफल होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों की जानकारी उसकी जागरूकता को बढ़ाने में उसकी मदद करेगा।

मुख्य शब्द– प्राथमिक, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षा, अधिकार, अधिनियम–2009।

प्रस्तावना– शिक्षा का पहला स्तर प्राथमिक स्तर होता हैं, अतः इस नीव को सुदृढ़ करना इसके उद्देश्यो तथा भागीदारी को समझना शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति का कतर्व्य है। भारतवर्ष में इस शिक्षा के अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग की शिक्षा आती हैं, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को दो भागो में विभाजित किया। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निम्न प्राथमिक स्तर तथा 11–14 आयु वर्ग के लिए उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्तर होता हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार वस्तुतः मानवतावादी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की देन माना जा सकता है। मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने एंव प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। जिससे वे राजनैतिक क्षेत्रो में प्रबुद्ध नागरिको के रूप में विचार कर सके। इसी विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1882 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने की माँग रखी थी। परन्तु इस दिशा में प्रथम आंशिक रूप से सफल प्रयास सर इब्राहिम रहीमतुल्ला व सर चिमन लाल सीतवाड़ का रहा।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

जिनके प्रयास से बम्बई सरकार ने सन् 1906 में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। परन्तु यह सफल नही हुआ। बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड ने सन् 1893 में अमरेली ताल्लुके तथा बाद में 1906 में अपनी सम्पूर्ण रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। यद्यपि गोपालकृष्ण गोखले द्वारा सन् 1910 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्तुत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव पारित नही हो सका लेकिन इस प्रस्ताव ने ब्रिटिस सरकार तथा जनता दोनो का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित किया। परन्तु पहला सफल प्रयास 1918 ई0 में बिठ्ठल भाई पटेल ने बम्बई सरकार के नगर–निगम के स्कूलों में इसे लागू कराकर किया। इसके बाद 1919 में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में सन् 1920 में मध्य प्रदेश व मद्रास में सन् 1926 में आसाम में, 1930 में बंगाल व कश्मीर तथा सन् 1931 में मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के अधिनियम बनाये गये।

सन् 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा का मापदण्ड तैयार तो हुआ, परन्तु यह पूर्ण रूपेण सफल न हो पाया। इसके पश्चात् सन् 1950 में भारतीय संविधान को जब स्वीकार किया गया, तो अगले 10 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यो की प्राप्ति की बात कही गयी। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 (1) में प्राथमिक स्तर के शिक्षा को बच्चो के मूल अधिकार से जोड़ा गया। 45वें अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के 6–14 आयु वर्ग के बच्चो के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही बच्चो के माता–पिता व अभिभावको के कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(1) मे जोड़ा गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किये गये। सन् 1990 में थाईलैण्ड में 'सब के लिए शिक्षा' पर कान्फ्रेंस हुआ जिसमें 'सबके लिए शिक्षा' पर विश्व घोषणा हुआ। भारतीय सरकार द्वारा सार्वभौमिकरण के लिए 'आपरेसन ब्लैकबोर्ड' की शुरूआत 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुआ। सन् 1994 ई0 में शैक्षिक रूप से पिछडे जिलो के लिए 'जिला प्राथमिक शिक्षा योजना' की शुरूआत किया। सन् 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' की शुरूआत किया और इन सभी कार्यक्रमो को जोड़कर 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 को बनाया गया। जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।

सम्बन्धित साहित्य – हचांग (2021) ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के स्कूली शिक्षकों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में जागरूकता का अध्ययन करके पाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में 10 प्रतिशत शिक्षक निम्न जागरूकता रखते हैं। 56.6 प्रतिशत शिक्षक औसत जागरूकता रखते हैं। 20 प्रतिशत शिक्षक उच्च जागरूकता रखते हैं। 13.3 प्रतिशत शिक्षक अति उच्च जागरूकता रखते हैं अर्थात कुल मिलाकर पापुमपारे जिले के स्कूलों के शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति औसत जागरूकता रखते हैं। तथा शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों के मध्य भी अंतर पाया गया जिसमें शहरी शिक्षा ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति अधिक जागरूक पाए गए हैं।

सेठी (2021) ने केंदुझार जिले के जोड़ा प्रखंड में अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों और शिक्षकों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में जागरूकता पर अध्ययन करके पाया कि जिले के अधिकतर क्षेत्रों में आज भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में जागरूकता का अभाव है। तथा इन क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम

2009 के प्रति जागरूकता का अभाव सिर्फ सामान्य जनमानस में ही नहीं है बल्कि इस अधिनियम के संचालन में लगे पदाधिकारियों में भी जागरूकता की कमी है।

सिंह और सागर (2019) ने 'ए स्टडी आफ एवेयरनेस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर.टी.ई. एक्ट–2009 एमंग बेसिक, माध्यमिक एंड सी.बी.ए.स.ई बोर्ड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन रिलेशन टू दियर जेंडर' पर अध्ययन कार्य किया और पाया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता से अधिक है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के महिला और पुरुष अध्यापकों में जागरूकता का समान स्तर पाया गया है।

त्रिपाठी और डूंगरवाल (2019) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में अशासकीय शिक्षकों के जागरूकता के स्तर का आकलन करके पाया कि गैर सरकारी शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में जागरूकता का स्तर अधिक है परंतु वे छात्रों और शिक्षकों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में औसत जागरूकता रखते हैं। साथ ही यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में गैर सरकारी शिक्षक सरकारी शिक्षकों की तुलना में अधिक जागरूकता रखते हैं।

मिश्रा (2019) ने उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करके पाया कि उड़ीसा के कालाहांडी, नवरंगपुर, मयूरभंज और कोरापुट जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में जागरूकता में महत्त्वपूर्ण अंतर है। कालाहांडी जिले के शिक्षक कोरापुट जिले के शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति अधिक जागरूक हैं। उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अस्थालिन और रत्नाकर (2018) ने प्राथमिक शिक्षकों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि सामान्य श्रेणी के शिक्षक अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति अधिक जागरूक हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक सामान्य वर्ग के शिक्षकों से कम तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अधिक जागरूक हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षक सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति कम जागरूक हैं। साथ ही कुल मिलाकर महिला शिक्षिका पूर्व शिक्षिका की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता रखती हैं।

कुमार (2018) ने अल्पसंख्यक समुदाय के माता–पिता के बीच निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की जागरूकता पर एक अध्ययन करके पाया कि एकल माता–पिता निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में औसत से कम जागरूकता रखते हैं। अध्ययन में पुरुष अभिभावक का औसत स्कोर 10.23 है और महिला अभिभावक का औसत स्कोर 7.29 है जिससे यह पता चलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में पुरुष अभिभावक महिला अभिभावक से अधिक जागरूकता रखते हैं। ग्रामीण माता–पिता का औसत स्कोर 8.51 और शहरी

माता–पिता का 9.82 है जिससे यह पता चलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में ग्रामीण माता–पिता की तुलना में शहरी माता–पिता अधिक जागरूक हैं।

शर्मा एवं सैनी (2018) ने विभिन्न आरक्षित वर्ग के बी.एड. विद्यार्थियों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया और पाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.एड. विद्यार्थियों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

स्नेह (2018) ने " अभिभावक ,अध्यापक और विद्यार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता एवं राजस्थान के चुरु और झुंझुनू जिलों में इसकी क्रियान्विति एवं प्रभावशीलता का अध्ययन" करके पाया कि निजी विद्यालयों के शिक्षक सरकारी विद्यालयों के शिक्षको से कम जागरूक हैं , सरकारी स्कूलों के छात्र निजी स्कूलों के छात्रो कि तुलना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में ज्यादा जागरूकता रखते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता–पिता या अभिभावक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रो के माता–पिता या अभिभावक से कम जागरूकता रखते हैं।

सोफी (2017) ने 'श्रीनगर के मुस्लिम समुदाय के माता–पिता का शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करते हुए पाया कि शहरी मुस्लिम माता–पिता ग्रामीण मुस्लिम माता–पिता की तुलना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति अधिक जागरूक है तथा वे माता–पिता जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में जाते हैं वह सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के माता–पिता की तुलना में अधिक जागरूक हैं।

समस्या कथन – "प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन"

शोध में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

प्राथमिक विद्यालय– प्रस्तुत शोध में प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य एक ऐसे विद्यालय से है जहां कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 – प्रस्तुत शोध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का तात्पर्य है कि भारत में लागू ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जागरूकता– प्रस्तुत शोध में जागरूकता से अभिप्राय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इतिहास, पृष्ठभूमि, वर्तमान परिदृश्य और क्रियान्वयन की जानकारी से है जिसका अनुपालन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्यः–

1-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

2-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

शून्य परिकल्पना

1-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में मुख्य रूप से वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया हैं ।

शोध की जनसंख्या– प्रस्तुत शोध अध्ययन में वाराणसी मंडल के अंतर्गत समस्त जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों कों जनसंख्या के रूप में चुना गया हैं ।

प्रतिदर्श एवं प्रतिर्शन विधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन की जनसंख्या में साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करके 120 प्राथमिक विद्यालयों से 430 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया हैं ।

शोध के उपकरण– प्रस्तुत शोध में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का मापन करने के लिए स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधिया– प्रस्तुत शोध अध्ययन में एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए मध्यमान , मानक विचलन एवं 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं ।

आंकड़ों का विश्लेषण

उद्देश्य 1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

H01- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी'मान	निष्कर्ष
महिला	200	160.34	19.651	428	1.39	0.05 स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है
पुरुष	230	160.60	20.218			

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 160.34 और 160.60 तथा मानक विचलन का मान क्रमशः 19.651 और 20.218 हैं। इनका 'टी' मान 1.39 हैं जो की 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं हैं अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया

गया है। पुरुष तथा महिला शिक्षकों कि जागरुकता में यह परिणाम आने का संभावित कारण यह हो सकता हैं कि वर्तमान समय में शिक्षकों के प्रशिक्षण के समय महिला और पुरुष शिक्षकों को एक समान प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता के लिए दोनों को एक समान प्रशिक्षण एवं अवसर उपलब्ध होते हैं जिसका प्रभाव महिला और पुरुष दोनों शिक्षकों पर एक समान पड़ता है। अतः महिला और पुरुष शिक्षक की जागरूकता एक समान पायी गयी है। सिंह, और सागर (2019), मिश्रा (2019), ठाकुर (2014) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों की जागरूकता पर किए गये अध्ययन का परिणाम उपर्युक्त परिणाम का समर्थन करता है कि महिला और पुरुष शिक्षक की जागरूकता एक समान हैं । जबकि इसके विपरीत लाल (2014) ने अपने अध्ययन में पाया की भावी पुरुष शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों के बारे में महिला शिक्षक से अधिक जागरुक हैं ।

उद्देश्य 2- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

H02-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी' मान	निष्कर्ष
शहरी	153	149.42	15.83	428	9.51	0.05 स्तर पर सार्थक अंतरं है
ग्रामीण	277	166.58	18.99			

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 149. 42 और 166.58 तथा मानक विचलन का मान क्रमशः 15.83 और 18.99 हैं। इनका 'टी' मान 9.5 हैं जो की 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं हैं अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर है । वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ है, संसाधनों की उपलब्धता के कारण अधिक से अधिक लोग शहर में रहकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्र में सीबीएससी बोर्ड और आई.सी.एस.सी. बोर्ड ने भारत के प्रत्येक शहर कब्जा कर लिया है। इन विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। शहरी क्षेत्रों में ऐसे विद्यालयों की अधिकता और शासकीय विद्यालयों की कमी पाई गई है। अतः शहरी क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के

प्रति जागरूकता में कमी पाई गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को समय–समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की वजह से इनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का स्तर अधिक पाई गई हैं। रामचंद्रन एवं सुब्रमण्यम (2015), ठाकुर (2014) ने अपने अध्ययन में समान निष्कर्ष पाया हैं जबकि हचांग (2021), लाल (2014) ने अपने अध्ययन में पाया की शहरी शिक्षक की जागरूकता ग्रामीण शिक्षक की जागरूकता से अधिक हैं

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से हैं–

1–शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2–शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता, डॉ. एस. पी. (2015): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ , शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
2. त्रिपाठी, शालिकग्राम (2009):भारतीय शिक्षा का इतिहास, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली ।
3. त्रिवेदी, राकेश (2021): भारतीय शिक्षा का इतिहास (स्वतन्त्रता पश्चात), ओमेगा पब्लिकेशन , नई दिल्ली
4. Hachang, P. (2021). A Study on Awareness about Right to Education (RTE) Act 2009 among School Teachers of Papumpare District, Arunachal Pradesh. Journal of Research in Humanities and Social Science, 9, 62-65.
5. SETHY, P. K. (2021). Awareness Regarding Right to Free and Compulsory Education Act among Scheduled Tribe Parents and Teacher in Joda Block of Kendujhar District. High Technology Letters, 27.
6. Singh, K. & Sagar, P. (2019). A study of awareness of the provision of RTE Act 2009 among Basic, Madhyamik and CBSE board upper primary school teachers in relation to their gender. Journal of Emerging Technologies and Innovation Research, 6 (4), 520-528.
7. Tripathi, M. and Dungarwal, M. (2019). Assessment of Awareness level of Non-Government Teachers regarding RTE. International Journal of Applied Research, 5(5), 16-21.
8. Mishra, S. (2019). Awareness of Elementary School Teachers in Tribal Area of Odisha, India About RTE Act-2009. Journal of Education and Practice,10(1),7-16.

9. Astalin, P.K. & Ratnakar, V. K. (2018). A Comparative Study of the Awareness Towards RTE Act 2009 Among the Primary Teachers. An International Journal of Educational Technology, 85-91
10. Kumar, R. (2018). A Study on Awareness of RTE Act 2009 Among the Parents of Minority Community. Ideal Research Review, 60(1), 35-40.
11. शर्मा, एस. और सैनी, आर. (2018). विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड. शिक्षार्थियों की आर.टी.ई.–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन. चेतना इंटरनेशनल एजुकेशनल जनरल, 2,85–88
12. स्नेह, (2018). अभिभावक, अध्यापक एवं विद्यार्थियों की आर०टी०ई० 2009 के प्रति जागरूकता एवं राजस्थान के चूरू एवं झुंझुनू जिलों में इसकी क्रियान्वित ई एवं प्रभावशीलता का अध्ययन. पी– एच. डी., शिक्षाशास्त्र, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानिक विश्वविद्यालय, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, शुरू,राजस्थान।
13- Sofi, M. A. (2017). A Study on awareness of RTE Act-2009 among the parents of Muslim community of Srinagar. International Journal of Academic Research and Development, 2, 266-267